

डिक्री व मुकदमे की इब्जॉर्ड
(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाड़ा व इजलारा : पर्वत सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 50/2016

उत्तवान मुकदमा

श्री लाल पिता स्व. श्री बालजी जाति भील उम्र 26 वर्ष
श्रीमती इतरी बेवा स्व. श्री बालजी जाति भील उम्र 44 वर्ष निवासीयान ग्राम तेजपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) :- वादीगण

बनाम

श्री लक्ष्मण पिता श्री लाल जाति भील उम्र नाबालिंग वगैरह
तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा (राज.)

:- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट
निर्णय

दिनांक : 15/03/2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वारंते इनफिरमाल कटाई रूबरू हगारे एवं हाजिर गिद्वान यादीगण अधिवक्ता साजिद हुसैन एवं प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 7, 10, 11, 13 के गिद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन पेश होकर हुकम दिया जाता है तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा के पत्रांक 1120 दिनांक 12-03-2022 अनुसार निर्णय दिनांक 03-11-2017 की पालना में ग्राम तेजपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा के खाता संख्या 259 नया 222 पुराना के किता 12 रकबा 4.2149 हैक्टयर कुल लगान 8.0400 खाते का वारंता मुताबिक बटवारा फेहरिस्त अनुसार निम्नानुसार किया जाता है।

क्र.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा में)	किरम	लगान
1	देवीलाल पिता बालजी ईतरी पत्नी बालजी भील निवासी गूजरवाड़ा खातेदार	415	1-17	बे.गो.-1	4.54
		1182/369	0-03	बे.गो.-2 मगरी	0.11 0.18
	कुल	2	2-00		4.83
2	लक्ष्मण गणपतलाल ताराचन्द रायचन्द पिता लाला, रमतु बेवा लाला 87/481 हकरू राजू पिता कमजी 87/481 रावजी लक्ष्मण पिता रकमा रूप बेवा रकमा 261/481, कानजी पिता रकमा हिस्सा 46/481 भील निवासी गूजरवाड़ा खातेदार	415	0-14	बे.गो. 2	1.50
		1182/369	1-17	मगरी	2.24
		406	4-00	भु.च.	0.30
		409	2-17	बे.गो.3	7.80
				भु.च.	0.30
				बे.गो.3	5.41
		413	1-05	भु.च.	0.12
				बे.गो.2	2.46
		436	2-04	बे.गो.2	4.71
		437	1-06	बे.गो.3	2.70
		439	3-00	भुरी कदीम	1.33
		440	0-19	बे.गो.3	4.16
		भुरी कदीम	0.20		
		बे.गो.2	1.71		
	442	2-09	को.सा.ग.2	5.71	
	1300/367	2-00	जंगल	2.42	
	1419/367	1-10	जंगल	1.82	
	योग	12	24.01		44.89

इस आशय की डिक्री जारी कर वारंते पालनार्थ तहसीलदार बांसवाड़ा को भिजवाई जाकर कि वह डिक्री के अनुसार राजस्व कार्ड में बटवारा अनुसार अमल दरामद करे।

नोट- शून्य मुबलिग शून्य बायत शून्य खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलगामी तक शून्य का अदा करे।

कोर्ट के आदेशों एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 15.03.2022 को जारी की गई।



(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

मुद्दे	रूपया पैसा	मुद्दायलख	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कभिश्नर	शून्य
फीस कभिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)